न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 60 / 2018 जिला दौसा

1. प्रहलाद
2. लल्लू
3. जगदीश
4. रमेश

पि. रामपाल , जाति मीना, निवासी ग्रम अनूपपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. कारू उर्फ कालूराम पुत्र श्रीराम, जाति मीना, निवासी ग्रम पीलोदा, तहसील वजीरपुर, जिला सवाईमधोपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)
3. उप पंजीयक लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा दिनांक 12.9.2018 बाबत नामांतरकरण संख्या 350 दिनांक 28.12.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सत्यनारायण शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री महेश चन्द शर्मा

निर्णय

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक– 3.4.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 12.9.2018 बाबत इन्तकाल संख्या 350 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम अनूपपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खाता संख्या 51, खसरा नम्बर 64 किता 2 रकबा 16.01 हैक्टेयर का खातेदार बदरी पुत्र मूल्या हिस्सा 1/3 कौम मीना था । खातेदार बदरी के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 350 पटवारी हल्का द्वारा कालूराम पुत्र बदरी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के नाम भरा गया, जिसे ग्रम पंचायत झॉपदा, पंचायत समिति लालसोट, जिला दौसा द्वारा दिनांक 28.12.2017 को स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट्स प्रहलाद वगैहरा पुत्रान रामपाल द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा को प्रस्तुत की जो उनके निर्णय दिनांक 16.3.2018 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 350 दिनांक 28.12.2017 वाके ग्रम अनूपपुरा खारिज किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस

निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि बदरी पुत्र मूल्या के वारिसान की विधिवत जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

उप खण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार लालसोट द्वारा निर्णय दिनांक 12.9.2018 पारित किया कि "प्रकरण में प्रार्थीगण रमेश जगदीश पुत्रान रामपाल द्वारा 50 रू. का स्टाम्प पेश किया है जिसमें कालू को बदरी का पुत्र होना माना है । साथ ही न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट में एक वाद तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण संख्या 185 /17 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें भी कालूराम को बदरी का पुत्र होना बतौर प्रतिवादी संख्या 5 दर्ज किया हुआ है । वकील प्रतिवादी द्वारा मतदाता सूची 2009 व शपथ पत्र पेश किये हैं जिसमें टूण्डा पुत्र नानगा एवं बाबू पुत्र गुल्लीराम वगैरह ने अपने शपथ पत्र पेश कर कालूराम को बदरी का पुत्र अंकित किया है । उक्त समस्त दस्तावेजात एवं शपथ पत्रों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि कालूराम, बदरी पुत्र मूल्या का वास्तविक वारिस है । अतः मृतक खातेदार बदरी पुत्र मूल्या की विरासत का नामांतरकरण कारू उर्फ कालूराम पुत्र बदरी के नाम खोले जाने के आदेश दिये जाते हैं" ।

तहसीलदार लालसोट के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स प्रहलाद वगैहरा पि. रामपाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लालसोट दिनांक 12.9.2018 निरस्त कर विवादित आराजी में बदरी पुत्र मूल्या के 1/3 हिस्से का अपीलान्ट्स को मालिक स्वामी घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार बदरी जो अपीलान्ट्स का काका था, जो नाऔलाद फौत हुआ था और करीबन 50 साल पूर्व उसकी पत्नी रामप्यारी, पीलोदा निवासी श्रीराम पुत्र गंगाधर के नाते चली गई थी तब से वही रह रही है । नाते जाने के बाद रामप्यारी के श्रीराम से दो पुत्र संतान हुई जिनमें रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कालूराम एवं वेदराम थे , जिनके व पत्नी रामप्यारी के नाम श्रीराम की विरासत का नामांतरकरण हो चुका है । कालूराम के समस्त सरकारी दस्तावेजात में उसके पिता का नाम श्रीराम दर्ज रिकार्ड है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों की जॉच किये बिना एवं दस्तावेजात को नजरन्दाज करते हुये कालूराम को लाभान्वित करने के उद्देश्य से कालूराम को बदरी का पुत्र घोषित करने का अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि मृतक खातेदार बदरी अपीलान्ट्स का काका होने से अपीलान्ट्स बदरी के विधिक वारिसान है । अपीलान्ट्स के काका बदरी की विरासत से

रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कालूराम का कोई सरोकार वास्ता नहीं है , क्योंकि वह श्रीराम पुत्र गंगाधर निवासी पीलोदा, तहसील वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर का पुत्र है। जमाबन्दी खाता संख्या 508 संवत 2070 से 2073 ग्रम पीलोदा, तहसील वजीरपुर , जिला सवाईमाधोपुर व मतदाता सूची व राशनकार्ड में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कालूराम के पिता का नाम श्रीराम दर्ज है । उनका कहना था विवादित भूमि पर अपीलान्ट्स काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लालसोट दिनांक 12.9.2018 विधि विधान एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कालूराम मृतक खातेदार बदरी का पुत्र है और पटवारी हल्का ने बदरी की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट कालूराम पुत्र बदरी के नाम भरा था जिसे बाद जॉच ग्रम पंचायत झॉपदा द्वारा रेस्पोंडेन्ट कालूराम के नाम तस्दीक किया है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कालूराम खातेदार बदरी का पुत्र होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अपने पिता की भूमि में हक प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है । उनका कहना था कि प्रकरण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट से तहसीलदार दौसा को रिमाण्ड होने पर तहसीलदार लालसोट ने सभी पक्षकारों को सुना जाकर, व दस्तावेजात लेकर बाद जॉच अपीलाधीन निर्णय पारित कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कारू उर्फ कालूराम को बदरी पुत्र मूल्या का वास्तविक वारिस मानते हुये बदरी पुत्र मूल्या की विरासत का नामांतरकरण कारू उर्फ कालूराम पुत्र बदरी के नाम खोले जाने के आदेश दिये हैं । अतः अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लालसोट दिनांक 12.9.2018 उचित एवं विधिसम्यक होने से उसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार बदरी पुत्र मूल्या की विरासत के नामांतरकरण का है । अपीलान्ट्स विवादित भूमि के खातेदार बदरी पुत्र मूल्या के नाऔलाद फौत होने एवं बदरी की पत्नी रामप्यारी, पीलोदा निवासी श्रीराम पुत्र गंगाधर के नाते चली जाने एवं नाते जाने के बाद रामप्यारी के श्रीराम से दो पुत्र संतान रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कालूराम एवं वेदराम होने तथा उनके व पत्नी रामप्यारी के नाम श्रीराम की विरासत का नामांतरकरण दर्ज होने एवं कालूराम के समस्त सरकारी दस्तावेजात में उसके पिता का नाम श्रीराम दर्ज रिकार्ड होने के आधार पर अपीलान्ट्स अपने काका बदरी की भूमि अपने नाम कराना चाहते हैं । दूसरी ओर ग्रम पंचायत ने बदरी की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कालूराम पुत्र बदरी के नाम तस्दीक किया है जिसकी अपील उप खण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय दिनांक 16.3.2018 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 350 दिनांक 28.12.2017 वाके ग्रम

अनूपपुरा खारिज किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि बदरी पुत्र मूल्या के वारिसान की विधिवत जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें । उप खण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार लालसोट ने निर्णय दिनांक 12.9.2018 से प्रकरण में प्रार्थीगण रमेश जगदीश पुत्रान रामपाल द्वारा 50 रू. का स्टाम्प पेश किया है जिसमें कालू को बदरी का पुत्र होना मानाने एवं साथ ही न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट में एक वाद तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 185 /17 की प्रमाणित प्रति में भी कालूराम को बदरी का पुत्र होना बतौर प्रतिवादी संख्या 5 दर्ज किये जाने एवं वकील प्रतिवादी द्वारा मतदाता सूची 2009 व शपथ पत्र में टूण्डा पुत्र नानगा एवं बाबू पुत्र गुल्लीराम वगैरह ने अपने शपथ पत्र पेश कर कालूराम को बदरी का पुत्र अंकित किये जाने से उक्त समस्त दस्तावेजात एवं शपथ पत्रों के आधार पर कालूराम को बदरी पुत्र मूल्या का वास्तविक वारिस मानते हुये मृतक खातेदार बदरी पुत्र मूल्या की विरासत का नामांतरकरण कारू उर्फ कालूराम पुत्र बदरी के नाम खोले जाने के आदेश दिये हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि तहसीलदार लालसोट के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात में रेस्पोंडन्ट कालूराम को मृतक खातेदार बदरी पुत्र मूल्या का वास्तविक वारिस माना है तथा मृतक खातेदार बदरी की विरासत का नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट कालूराम के नाम खोलने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात में रेस्पोंडेन्ट कालूराम को बदरी का पुत्र अंकित किया हुआ है ओर किसी भी पुत्र को अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने का विधिक अधिकार है । ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा दिनांक 12.9.2018 में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर